5 Rs. COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(41)

CP18

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश शासन ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक- /2005 निगरानी 1889.PBR/05

ओ०पी० शर्मा, ... 11.11.05 ...को प्रस्तुत।

अवर सचिव राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

11 NOV 2005

सरमन सिंह पुत्र गुलाब सिंह
निवासी उम्मेदगढ तहसील व जिला
ग्वालियर ----प्रार्थी

बनाम्

मध्यप्रदेश शासन ---प्रतिप्रार्थी

निगरानी प्रार्थना पत्र विरूद्ध न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर सम्भाग ग्वालियर आदेश दिनांक 10-5-2005 पारित प्रकरण क्रमांक 99/2004-05 अपील अन्तर्गत धारा 50 रै०को०.

O.P.Sharma Adv
11-11-2005

श्रीमान्,

प्रार्थी की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय रिकार्ड तथा अधिनियम के अन्तर्गत विहित प्रावधानों के एवं प्रक्रिया के विपरीत **मनमाना होने से निरस्त किये जाने योग्य है।**

2- यह कि, प्रार्थी के पिता ग्राम उम्मेदगढ (दादौरी) तहसील ग्वालियर की कृषि भूमि क्रमांक 926 रकवा 1 बीघा 19 बिस्वा पर दिनांक 22-9-1962 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विक्रेता भूमि स्वामी की ओर से क्रय करने के लगभग 5-6 वर्ष पूर्व से विवादित भूमि पर कृषि कर रहे थे। और उनके द्वारा बंजर भूमि को अपना परिश्रम और काफी रूपया पैसा खर्च कर कृषि योग्य बनाया। उनकी मृत्यु के उपरान्त प्रार्थी तब से आज तक निरन्तर विवादित कृषि भूमि पर कृषि कर रहा है और मौके पर उसकी फसल खडी है।

11.11.05

3- यह कि, प्रार्थी के विरूद्ध विक्रेता की लडकी के लडके शीतलपुरी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1889–पीबीआर/05 **जिला ग्वालियर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09–02–2017	उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह प्रकरण वर्ष 2005 से लंबित है, अतः लगभग 12 वर्ष के दौरान संभवतः संबंधित भूमि से आवेदक का अतिकमण हटा दिया गया होगा । इसलिये इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि अनुविभागीय अधिकारी को निर्देशित किया जाये कि वे अतिकमण के संबंध में अद्यतन स्थिति ज्ञात कर अग्रिम कार्यवाही करें । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को कार्यवाही हेतु भेजा जाता है। निगरानी समाप्त की जाती है । (मनोज गोयल) **अध्यक्ष**	